

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मांगीराम पुत्र धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 धर्मराम उर्फ धर्मपाल पुत्र धोकलराम जाति कुम्हार साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 बिमला 3 गिरदावरी पुत्रीया धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4 दर्शना 5 सरस्वती 6 कविता पुत्रिया शारदा पुत्री धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7 सुशील कुमार पुत्र शारदा पुत्री धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
9. नरसिंह सुथोड पुत्र धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 222 सन 2019 निर्णय दिनांक- 18/02/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 की कुल 0.7590 चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 की कुल 2.2760 है व रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 की कुल 1.2650 हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी मांगीराम रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 के पनो 359/450(9) के किला नो 5/0.2020, 6 मिन उत्तर 0.127, कुल 0.329 हैक भूमि व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 के पनो 360/450(1) किला नो 2 मिन पूर्व 0.1135 हैक 3/0.2280, 8/0.253, 9 मिन पूर्व की 0.1265, 12 मिन पूर्व 0.1265, 13/0.253, कुल 1.1005 हैक भूमि व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 के पनो 353/448(80) के किला नो 1/0.253, 2/0.253, 3 मिन पश्चिम 0.1265 हैक कुल 0.6325 हैक भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 9 नरसिंह सुथोड के पास रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 के पनो 359/450(9) किला नो 6 मिन दक्षिणी 0.101, 15/0.2280, कुल 0.329 हैक व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 के पनो 360/450(1) के किला नो 1/0.2280, 2 मिन पश्चिम 0.1135, 9 मिन पश्चिम 0.1265, 10/0.253, 11/0.253, 12 मिन पश्चिम 0.1265, कुल 1.1005 व रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 के पनो 353/448(80) के किला नो 3 मिन पूर्व 0.1265, 4/0.253, 5/0.253, कुल 0.6325 हैक भूमि रहेगी तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के पास रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 के पनो 0 मुनो 78/14 किला नो 0 की 0.1010 हैक गै0मु0 रास्ता व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 के पनो 0 मुनो 74/1 के किला नो 0/1 की 0.0750 हैक गै0मु0 रास्ता बहिब खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 222 सन 2019

अनवान :-

1. मांगीराम पुत्र धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. धर्मराम उर्फ धर्मपाल पुत्र धोकलराम जाति कुम्हार साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बिमला 3 गिरदावरी पुत्रीया धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. दर्शना 5 सरस्वती 6 कविता पुत्रीया शारदा पुत्री धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुशील कुमार पुत्र शारदा पुत्री धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
9. नरसिंह सुथोड पुत्र धर्मराम उर्फ धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 की कुल 0.7590 हैक व चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 की कुल 2.2760 है व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 की कुल 1.2650 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा धोकलराम पुत्र बीझा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा धोकलराम पुत्र बीझा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा धोकलराम पुत्र बीझा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी की बहन शारदा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहन मृतक शारदा के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एवं काफी वृद्ध हो चुका है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता धोकलराम पुत्र बीझा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो वादी की बहन/भतीजे/पिता ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 की कुल 0.7590 हैक व चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 की कुल 2.2760 है व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 की कुल 1.2650 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा धोकलराम पुत्र बीझा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा धोकलराम पुत्र बीझा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा धोकलराम पुत्र बीझा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी की बहन शारदा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहन मृतक शारदा के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एवं काफी वृद्ध हो चुका है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 के साथ हुए बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा घाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 की कुल 0.7590 हैक व चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 की कुल 2.2760 है व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 की कुल 1.2650 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि धोकलराम पुत्र बीझा के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा धोकलराम पुत्र बीझा के नाम से दर्ज है वादी के दादा धोकलराम पुत्र बीझा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार

पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 ता 7 जो वादी की बहने/भतिजे/पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता ,7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 के साथ हुए बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाप्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 की कुल 0.7590 ,चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 की कुल 2.2760 हैं व रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 की कुल 1.2650 हैं व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी मांगीराम रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 के प0न0 359/450(9) के किला न0 5/0.2020 ,6 मिन उत्तर 0.127 ,कुल 0.329 है व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 के प0न0 360/450(1) किला न0 2 मिन पूर्व 0.1135 है व 3/0.2280 ,8/0.253, 9 मिन पूर्व की 0.1265 , 12 मिन पूर्व 0.1265 ,13/0.253 , कुल 1.1005 है व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 के प0न0 353/448(80) के किला न0 1/0.253 ,2/0.253 ,3 मिन पश्चिम 0.1265 है व कुल 0.6325 है व भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 9 नरसिंह सुथोड के पास रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 के प0न0 359/450(9) किला न0 6 मिन दक्षिणी 0.101 ,15/0.2280 , कुल 0.329 है व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 के प0न0 360/450(1) के किला न0 1/0.2280 ,2 मिन पश्चिम 0.1135, 9 मिन पश्चिम 0.1265 , 10/0.253 ,11/0.253 ,12 मिन पश्चिम 0.1265 ,कुल 1.1005 व रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 63/57 के प0न0 353/448(80) के किला न0 3 मिन पूर्व 0.1265 ,4/0.253 ,5/0.253 ,कुल 0.6325 है व भूमि रहेगी तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के पास रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 53/39 के प0न0 0 मु0न0 78/14 किला न0 0 की 0.1010 है व गै0मु0 रास्ता व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 48/45 के प0न0 0 मु0न0 74/1 के किला न0 0/1 की 0.0750 है व गै0मु0 रास्ता बहिब खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाप्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़) राजस्व  
नोहर